

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-1  
संख्या- 844/दो-1-2018-19/1(14)/2011टी.सी.  
लखनऊ दिनांक 06 जून, 2018  
कार्यालय-ज्ञाप

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संतान शिक्षा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में छटे वेतन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य किये जाने वाले संशोधनों/स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशों के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या-3903/दो-1-2015-9/1(14)/2011 टी.सी. दिनांक 08.10.2015 द्वारा प्रदेश सरकार के अन्तर्गत कार्यरत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संतान शिक्षा भत्ता का लाभ अनुमन्य किया गया है।

2. वर्तमान में भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-27012/02/2017-स्था (भत्ता) दिनांक 16.08.2017 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संतान शिक्षा भत्ता का लाभ प्रदान किया गया है।

3. अतएव भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-27012/02/2017-स्था (भत्ता) दिनांक 16.08.2017 द्वारा लागू की गई वर्तमान संतान शिक्षा भत्ता योजना को निर्धारित शर्तों/दिशानिर्देशों के अधीन अंगीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुए श्री राज्यपाल प्रदेश सरकार के अन्तर्गत कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए इसे तात्कालिक प्रभाव से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।


4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 प0 संख्या-जी-1-188यू0ओ0/दस-2018, दिनांक 04 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

दीपक त्रिवेदी  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- महालेखाकार (लेख एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- इरला चेक अनुभाग (वे0प0प्र0), उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 10- विभागीय वेवसाइट।

आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।